अध्याय 17

लोकपाल/लोकायुक्त

इस अध्याय में आप सीखेंगे कि:

- लोकपाल और लोकायुक्त की आवश्यकता क्यों है। साथ ही साथ केन्द्रीय सतर्कता आयोग और सीबीआई की संरचना और गठन के बारे में जानकारी प्राप्त होगी।
- लोकपाल/लोकायुक्त, केन्द्रीय सतर्कता आयोग, सीबीआई इत्यादि संगठनों के गठन की आवश्यकता क्यों पड़ी।

परिचय (Introduction)

स्वीडिश शब्द 'ओम्बुड' शब्द का अर्थ एक ऐसा व्यक्ति होता है जो किसी अन्य व्यक्ति का प्रतिनिधि या प्रवक्ता हो 'ओम्बुड' से 'ओम्बुड्समैन' बना है। ओम्बुड्समैन का तात्पर्य उस संस्था से है जो कुप्रशासन से नागरिकों की रक्षा करती है। ओम्बुड्समैन नामक यही संस्था भारत में लोकपाल या लोकायुक्त कहलाती है। ओम्बुड्समैन एक निष्पक्ष तथा कार्यकुशल संस्था मानी जाती है क्योंकि यह स्वतंत्रतापूर्वक किसी मुद्दे की जाँच कर सरकार को कार्यवाही करने का परामर्श देती है। इसका मुख्य उद्देश्य प्रशासन तंत्र में जनता के विश्वास की वृद्धि करना है।

उद्भव एवं विकास (Origin and Development)

इसका उद्भव स्वीडन में हुआ, जहाँ 1809 के संविधान ने एक अद्वितीय संस्थान-ओम्बुड्समैन की स्थापना की, ताकि नागरिकों को प्रशासनिक अन्याय अथवा किसी सरकारी अधिकारी द्वारा शक्ति दुरुपयोग से सुरक्षित किया जा सके। स्वीडन में ओम्बुड्समैन की नियुक्ति संसद करती है ताकि वह एक स्वतंत्र सत्ता के रूप में सभी लोक-अधिकारियों—सैनिक, असैनिक तथा न्यायिक, के कार्यों का निरीक्षण कर सके।

ओम्बुड्समैन विधानमंडल, कार्यकारिणी तथा न्यायपालिका तीनों से स्वतंत्र होता है। इसमें से किसी को अधिकार नहीं है कि उसके दैनिक कार्य में कोई हस्तक्षेप कर सके। ओम्बुड्समैन की नियुक्ति चार वर्ष की निश्चित अवधि के लिए होती है और उसको पद से केवल तभी हटाया जा सकता है यदि वह संसद का विश्वास खो बैठे। वह संसद के प्रति अपनी वार्षिक रिपोर्ट पेश करता है। स्वीडन में इस संस्थान की सफलता के उपरांत इसकी ओर दूसरे देशों का ध्यान भी आकर्षित हुआ। परिणामस्वरूप अब तक 40 से ऊपर यूरोप, अफ्रीका और एशिया के देश इसको अपना चुके हैं, जैसे—ब्रिटेन, ऑस्ट्रेलिया, न्यूज़ीलैण्ड, घाना, जाम्बिया, राजनीतिक तथा प्रशासनिक संरचनाओं के अनुकूल अनिवार्य परिवर्तन किए हैं।

भारत में ओम्बुड्समैन/लोकपाल (Ombudsman in India)

भारत में सन् 1963 में सर्वप्रथम राजस्थान प्रशासनिक सुधार समिति (हरिश्चन्द्र माथुर समिति) ने यह सुझाव दिया था कि ओम्बुड्समैन जैसी संस्था भारत में भी होनी चाहिये। संसद सदस्य डॉ. एल. एम. सिंघवी ने यह माँग संसद में उठायी तथा प्रशासनिक सुधार आयोग (प्रथम) ने भी अपने 'जन अभियोग निराकरण की समस्याएँ (1966) नामक प्रतिवेदन में यह इंगित किया था कि केन्द्रीय स्तर पर लोकपाल तथा राज्य स्तर पर लोकायुक्त संस्थाओं की स्थापना ओम्बुड्समैन प्रणाली के अनुसार की जानी चाहिये।

आयोग की सिफारिशों के आधार पर सर्वप्रथम 9 मई, 1968 को लोकपाल तथा लोकायुक्त विधेयक संसद में प्रस्तुत किया गया जो लोकसभा में पारित हो चुका था, लेकिन राज्यसभा में पारित न हो पाया क्योंकि लोकसभा भंग हो गई थी। प्रधानमंत्री तथा राष्ट्रपति को

लोकायुक्त के कार्यक्षेत्र से बाहर रखा गया था। इसके कार्यक्षेत्र पर विवाद हुआ, फिर सन् 1971 में पुनः यह विधेयक प्रस्तुत हुआ किंतु लोकसभा भंग होने के कारण अधर में लटक गया। सन् 1977 में जनता पार्टी सरकार द्वारा नया 'लोकपाल विधेयक' संसद के सम्मुख लाया गया जिसमें प्रधानमंत्री को इसके क्षेत्राधिकार में रखते हुए पूर्ण स्वतंत्रता की बात कही गयी थी।

राजनीतिक अस्थिरता के कारण उस देश में विधेयक पारित नहीं हो पाया। चौथी बार लोकपाल विधेयक राजीव गाँधी के शासनकाल में प्रधानमंत्री को इसके क्षेत्राधिकार से बाहर रखते हुए अगस्त, 1985 में प्रस्तुत हुआ जिसे स्वयं राजीव गाँधी की सरकार ने ही वापिस ले लिया था। पांचवीं बार लोकपाल विधेयक वी.पी. सिंह की राष्ट्रीय मोर्चा सरकार द्वारा संसद के सम्मुख सन् 1990 में प्रस्तुत किया गया था। इस विधेयक में लोकपाल को सर्वप्रथम एक व्यक्ति अपेक्षा एक संस्था के रूप में देखते हुए एक अध्यक्ष तथा दो सदस्यों का प्रावधान किया गया था तथा प्रधानमंत्री को इसके कार्यक्षेत्र में सम्मिलित किया गया था किंतु यह सरकार भी समय से पूर्व ही सत्ता से दूर हो गई तथा लोकपाल विधेयक पूर्व की भाँति पारित नहीं हो पाया।

सन् 1996 में संयुक्त मोर्चा सरकार द्वारा तथा सन् 1998 में वाजपेयी सरकार द्वारा भी लोकपाल लोकसभा में पेश किया गया था, किंतु लोकसभा भंग होने के कारण विधेयक पारित न हो सका। प्रधानमंत्री को लोकपाल के दायरे में लाते हुए एक नया विधेयक 14 अगस्त, 2001 को 13वीं लोकसभा समय से पूर्व भंग हो गई।

संसद में आठ बार पेश हो चुका लोकपाल विधेयक सदैव ही विवाद तथा बदकिस्मती का शिकार रहा है। आठवें अखिल भारतीय लोकायुक्त सम्मेलन (27–28 सितम्बर, 2004) के उद्घाटन सत्र में बोलते हुए पूर्व राष्ट्रपति डॉ. ए.पी.जे. अब्दुल कलाम ने मत प्रकट किया कि लोकपाल संस्था की शीघ्र स्थापना हो तथा इसके दायरे में राष्ट्रपति एवं प्रधानमंत्री भी सम्मिलित होने चाहिए।

राज्य स्तर पर ओम्बुड्समैन/लोकायुक्त (State-level Ombudsman/Lokayukta)

किसी न किसी कारणवश लोकपाल का संस्थान केन्द्रीय स्तर पर अभी तक स्थापित नहीं हो पाया, किंतु राज्यों में स्थिति उत्साहजनक है। लोकायुक्त का सर्वप्रथम गठन महाराष्ट्र (1971) में हुआ। इससे पहले यह अधिनियम 1970 में उड़ीसा में आया परन्तु लागू 1983 में किया गया। राजस्थान ने 1973 में ऐसा विधान लागू किया। बिहार में लोकायुक्त संस्थान की स्थापना एक अध्यादेश जारी करके 1973 में की गई जिसको कुछ समय उपरांत विधि का रूप दे दिया गया। उत्तर प्रदेश ने 1975 में लोकायुक्त और उपलोकायुक्त एक्ट पास किया। कर्नाटक ने फरवरी 1983 में एक अध्यादेश लागू किया और 1985 में इसको कानून का रूप दिया। आन्ध्र प्रदेश विधानसभा ने 1982 में लोकायुक्त और उपलोकायुक्त विधेयक पास किया। मध्य प्रदेश लोकायुक्त तथा उप-लोकायुक्त विधेयक को 1981 में पास किया गया और हिमाचल प्रदेश में ऐसा कानून 1983 में लागू किया गया।

तालिका 17.1: स्वीडन एवं भारत के ओम्बुड्समैन में अंतर

स्वीडन	भारत
1. संवैधानिक तथा प्रवासी संस्था है।	1. राज्यों के लोकायुक्त वैधानिक तथा अल्प-प्रभावी संस्थाएँ हैं।
2. प्रधानमंत्री तथा अन्य मंत्रियों के विरुद्ध जाँच नहीं कर सकता है।	2. मंत्रियों तथा कुछ राज्यों में मुख्यमंत्रियों के विरुद्ध लोकायुक्त जाँच कर सकते हैं।
3. न्यायाधीश, सैनिक प्रशासन, स्थानीय संस्थाओं।	3. केवल मंत्रियों तथा लोक सेवाओं के विरुद्ध जाँच कर सकता है।
4. प्रेस को जानकारी दे सकता है।	4. प्रेस को जानकारी नहीं दी जाती है।
5. निर्णीत प्रकरण की पत्रावाली कोई भी देख सकता है।	5. भारत में प्रशासनिक गोपनीयता के कारण फाइल नहीं दिखाई जाती है।
6. स्वयं की पहल पर कार्यालय का दौरा कर जाँच कर सकता है।	6. सामान्यतः लोकायुक्त ऐसी कार्यवाही नहीं करते हैं।
7. प्रतिवर्ष लगभग 100 शिकायतें आती हैं।	7. प्रत्येक राज्य में एक माह में 100 से ज्यादा शिकायतें आ जाती हैं।
8. सरकार अधिकांश सिफारिशें स्वीकार करती है।	8. अधिकांश सिफारिशें लम्बे समय तक विचाराधीन पड़ी रहती हैं।
9. लोकप्रशासन तथा जनता में ओम्बुड्समैन के प्रति भय एवं सम्मान है।	9. सामान्यतः लोक सेवक, लोकायुक्त से भय नहीं खाते और न ही जनता इसे प्रभावी संस्था मानती है।

केरल में पब्लिक प्रीवैन्शन ऑफ करप्शन एक्ट 1983 से लागू है और नागालैण्ड में भ्रष्टाचार को रोकने के लिए विजिलेन्स आयोग कार्य कर रहा है। दिल्ली का लोकायुक्त एक्ट 1996 में पास किया गया, यह अन्य राज्यों की तुलना में अधिक प्रगतिशील है क्योंकि यह एक्ट लोकायुक्त को ना केवल उन शिकायतों की जाँच-पड़ताल करने का अधिकार देता है जो उसको प्राप्त हुई हैं, अपितु उन अधिकारियों को दण्ड देने की सत्ता भी प्रदान करता है जो एक्ट के अधीन भ्रष्टाचार के दोषी पाये गये हैं।

कर्नाटक में एक साहसी परीक्षण किया जा रहा है जो दूसरे राज्यों से कहीं अधिक आगे है। कई दृष्टि से इसको मार्गदर्शक कहा जा सकता है। वहाँ लोकायुक्त तथा उप-लोकायुक्त विधेयक को मुख्यमंत्री रामकृष्णा हेगड़े की जनता पार्टी की सरकार ने पेश किया था जो 1986 में लागू हुआ।

अधिसंख्य राज्यों में लोकायुक्त के लिए 5 वर्ष का कार्यकाल या 65 वर्ष की आयु जो भी पहले हो, का प्रावधान किया गया है। लोकायुक्त को मंत्रियों, लोक सेवकों, स्थानीय निकायों, लोक उपक्रमों तथा राज्य अनुदानित संस्थाओं के विरुद्ध प्राप्त भ्रष्टाचार सम्बन्धी शिकायतों की जाँच का अधिकार दिया गया है। बहुत से राज्यों में लोकायुक्त कुप्रशासन सम्बन्धी शिकायतें नहीं सुनते हैं। सभी राज्यों में लोकायुक्त राज्य की अन्वेषण एजेन्सियों से सहायता ले सकता है। लोकायुक्त अपना वार्षिक प्रतिवेदन राज्यपाल को प्रस्तुत करता है जिसे राज्यपाल राज्य विधायिका में प्रस्तुत कराते हैं।

लोकायुक्त को लोक सेवकों के विरुद्ध निम्नलिखित मामलों में आरोप एवं शिकायत प्राप्त कर जाँच कराने का अधिकार है:

- स्वयं या अन्य व्यक्तियों के लाभ या पक्षपात के लिए अपने पद का दुरूपयोग किया हो जो दूसरे व्यक्ति की क्षति या अभाव का कारण बना हो;
- सरकारी कर्मचारी के रूप में व्यक्तिगत स्वार्थ या अनुचित या भ्रष्ट विचार से प्रेरित होकर काम किया हो;
- भ्रष्टाचार के आरोप में दोषी हो या सरकारी पद पर ईमानदार न रहा हो;
- ज्ञात आय से असंगत सम्पत्ति हो या परिवार का कोई अन्य सदस्य उसकी तरफ से असंगत सम्पत्ति रखता हो; और
- जिस पद पर वह है उस पद पर लोक सेवक द्वारा ईमानदारी एवं सत्यनिष्ठा आचरण के मानदण्ड के अनुसार कार्य करने में विफल रहा हो।

इसी प्रकार शिकायत शब्द का अर्थ किसी नागरिक द्वारा किए गये उस दावे से है जो कुप्रशासन के कारण प्रस्तुत करना पड़ा है। कुप्रशासन का अर्थ निम्नांकित कार्यवाहियों से है:

- जहाँ इस प्रकार का कार्य या प्रशासनिक प्रक्रिया व्यवहार जो असंगत, अनुचित, दमनात्मक या पक्षपातपूर्ण हो, या जहाँ इस प्रकार की कार्यवाहियों में लापरवाही या अनावश्यक विलम्ब हुआ हो या इस प्रकार की प्रशासकीय प्रक्रिया व्यवहारों में अनावश्यक देरी हुई हो।
- लोकायुक्त संस्था सैद्धांतिक दृष्टि से सुदृढ़ दिखाई देती है किंतु व्यावहारिक रूप से किसी भी राज्य में लोकायुक्त संस्था प्रभावी सिद्ध नहीं हो पाई है।
- लोकायुक्त की भूमिका सरकार को परामर्श देने की है। कई बार लोक सेवकों का अपराध सिद्ध हो जाने पर भी लोकायुक्त की सिफारिश पर राज्य सरकार समुचित कार्यवाही नहीं करती है। इस प्रकार प्रशासन में अनैतिक तथा अकार्यकुशलता पर अंकुश नहीं लग पाता है।
- मध्य प्रदेश के लोकायुक्त ने अपने 14वें प्रतिवेदन (1996-97) में लिखा है—'पिछले दिनों राजनीतिज्ञों और अपराधियों के व्यापक गठजोड़ की चर्चा रही। इसी तर्ज पर राजनेताओं और नौकरशाहों के गठजोड़ के मामले भी इस संगठन (लोकायुक्त) द्वारा की गई जाँचों से सामने आए हैं।
- दरअसल लोकसेवकों का भ्रष्टाचार तो 'फल' है जिसका मूल समूचे समाज के नैतिक मूल्यों के पतन में निहित है। भ्रष्टाचार निवारण में निसंदेह लोकायुक्त सशक्त भूमिका निर्वाहित कर सकता है किंतु पहले लोकायुक्त सशक्त भूमिका निर्वाहित कर सकता है किंतु पहले लोकायुक्त को प्रभावी बनाना आवश्यक है।

इस हेतु निम्नांकित सुझाव अनेक अवसरों पर दिए जाते रहे हैं:

- लोकायुक्त को संवैधानिक दर्जा दिया गया;
- लोक प्रतिनिधित्व कानून को इस प्रकार संशोधित किया जाए कि लोकायुक्त की भूमिका व्यवहारिक बन सके;
- भूतपूर्व लोक सेवकों को भी इसके क्षेत्राधिकार में लाया जाए;
- लोकायुक्त के वार्षिक प्रतिवेदन को विधानसभा में रखने के लिए समय सीमा निर्धारित की जाए;
- लोकायुक्त को शपथ-पत्र में छूट देने की स्वतंत्रता दी जाए;
- लोकायुक्त को पुलिस की तरह छानबीन करने, तलाशी लेने तथा माल जब्त करने का अधिकार हो;
- मानहानि के सम्बन्ध में लोकायुक्त को उच्च न्यायालय के समान अधिकार दिए जाएँ; (मध्य प्रदेश सरकार द्वारा लोकायुक्त को अवमानना सम्बन्धी अधिकार दिए जाने का अविधेयक (2001) भाजपा के विरोध के कारण राष्ट्रपति द्वारा इंकार किया जा चुका है)।
- शिकायतें दायर करते समय जमानत राशि पर जोर न दिया जाय;
- जनसाधारण तक इस संस्था का प्रचार-प्रसार हो; तथा
- लोकायुक्त की अनुशंसाओं को यथाशीघ्र क्रियान्वित किया जाए।

सामान्यत: यह कहा जाता है कि भारत में लोकायुक्त नख-दंतविहीन निष्प्रभावी संस्था है। इसलिए लोकायुक्त को Vegetarian Tiger भी कहा जाता है।

तालिका 17.2: राज्यों में लोकायुक्त: वैधानिक भिन्नताएँ

प्रावधान	राज्य का नाम
1. नाम की भिन्नता	उड़ीसा एवं पंजाब में लोकपाल, शेष राज्यों में लोकायुक्त कहलाता है।
2. उप लोकायुक्त पद का प्रावधान	राजस्थान, गुजरात, महाराष्ट्र, उड़ीसा (उप-लोकपाल), बिहार, केरल, कर्नाटक तथा असम।
3. नियुक्ति, राज्यपाल द्वारा मुख्यमंत्री के परामर्श पर (उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश एवं राज्य विधायिका में प्रतिपक्ष के नेता से परामर्श करने के बाद)	राजस्थान, गुजरात, महाराष्ट्र, उड़ीसा, बिहार, केरल, पंजाब, असम, हिमाचल प्रदेश, उत्तर प्रदेश।

(Continued)

तालिका 17.2: राज्यों में लोकायुक्त: वैधानिक भिन्नताएँ *(Continued)*

प्रावधान	राज्य का नाम
• राज्य विधायिका में प्रतिपक्ष के नेता से परामर्श अनिवार्य नहीं।	आंध्र प्रदेश।
• विधायिका के दोनों सदनों के अध्यक्ष तथा प्रतिपक्ष नेता से भी परामर्श आवश्यक	कर्नाटक।
4. योग्यताएँ	
• न्यायिक योग्यताएँ अनिवार्य	आंध्र प्रदेश, असम, गुजरात, हिमाचल प्रदेश, कर्नाटक, उत्तर प्रदेश, उड़ीसा।
• विशिष्ट योग्यताएं निर्धारित नहीं	बिहार, महाराष्ट्र, राजस्थान।
5. कार्य क्षेत्र	
• मुख्यमंत्री भी लोकायुक्त के दायरे में	आंध्र प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, उड़ीसा, केरल, मध्य प्रदेश, गुजरात।
• पूर्व मंत्री एवं पूर्व लोक सेवक भी दायरे में	महाराष्ट्र।
• विधायक भी दायरे में	आंध्र प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, गुजरात, असम, उत्तर प्रदेश।
• मंत्री, विधायक तथा स्थानीय निकायों के अध्यक्षों के विरुद्ध जाँच नहीं	राजस्थान।
6. स्वप्रेरणा से जाँच नहीं कर सकता।	असम, हिमाचल प्रदेश, उत्तर प्रदेश।
7. भ्रष्टाचार सम्बन्धी आरोपों के साथ-साथ कुप्रशासन की जाँच भी करता है।	असम, बिहार, कर्नाटक, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश।

लोक आयुक्त

यह राज्य स्तरीय भ्रष्टाचार निरोधक प्राधिकरण है, जो विधायकों, राज्य के मंत्रियों और सरकारी अधिकारियों के खिलाफ भ्रष्टाचार की शिकायत की जाँच करता है। वर्तमान में भारत के 17 राज्यों में लोकायुक्त है।

सिटिज़न चार्टर (Citizen Charter)

सबसे पहले 1991 में ब्रिटेन के तत्कालीन प्रधानमंत्री जॉन मेजर ने अपने देश की लोकसेवाओं में दक्षता लाने के लिए सिटिज़न चार्टर की शुरूआत की थी। दिल्ली सरकार ने सिटिज़न चार्टर नागरिक घोषणापत्र की शुरूआत कर दी है। अभी दिल्ली सरकार अपने विभिन्न विभागों की 32 सेवाओं को इसके दायरे में लाई है। अपने देश में अधिकांश सरकारी विभागों ने अब सिटिज़न चार्टर लागू करने की शुरूआत कर दी है। बिहार, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ आदि कई राज्यों में पहले से ही सिटिज़न चार्टर लागू है।

इसमें नियम समय में काम पूरा न करने वाले कर्मचारियों से जुर्माना वसूलने का भी प्रावधान है, जो उनके वेतन से काटा जाएगा। जनता के आवेदनों की इलेक्ट्रॉनिक निगरानी भी की जाएगी। इसके तहत ड्राइविंग लाइसेंस, बिजली कनेक्शन, राशन कार्ड, जन्म-मृत्यु प्रमाणपत्र जैसे कामों को रखा गया है।

लोकपाल एवं लोकायुक्त विधेयक (Lokpal and Lokayukta Bill)

लोकपाल की स्थापना 46 वर्षों की लंबी प्रतीक्षा के पश्चात् दिसंबर, 2013 में लाए गए विधेयक (लोकपाल एवं लोकायुक्त विधेयक 2011) को संसद के दोनों सदनों द्वारा पारित करके की गई। इसके पश्चात् राष्ट्रपति का अनुमोदन भी वर्ष 2014 के पहले ही दिन प्राप्त हो गया। ज्ञातव्य है कि लोकसभा में लोकपाल एवं लोकायुक्त विधेयक-2011 को पहले ही दिसंबर 2011 में पारित किया जा चुका था, जबकि राज्यसभा में (21 मई, 2012 को) इसे प्रवर समिति को सन्दर्भित किया गया था। समिति द्वारा सुझाए गए सभी संशोधनों के साथ राज्य सभा ने 17 दिसंबर, 2013 को इसे पारित किया। इसे विधेयक में निम्नलिखित प्रस्ताव इस प्रकार हैं:

- प्रस्तावित लोकपाल में अध्यक्ष के अतिरिक्त अधिकतम 8 सदस्य होंगे। सर्वोच्च न्यायालय का कोई पूर्व मुख्य न्यायाधीश या सेवानिवृत्त न्यायाधीश या फिर कोई अन्य महत्त्वपूर्ण व्यक्ति इसका अध्यक्ष हो सकेगा।
- सदस्यों से आधे न्यायिक पृष्ठभूमि से होने चाहिए। इसके अतिरिक्त कम-से-कम आधे सदस्य अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, पिछड़ी जाति, अल्पसंख्यकों और महिलाओं में से होने चाहिए।
- कोई संसद सदस्य किसी राज्य का केन्द्रशासित प्रदेश की विधानसभा का सदस्य या कोई ऐसा व्यक्ति जिसे किसी किस्म के नैतिक भ्रष्टाचार का दोषी पाया गया हो या कोई ऐसा व्यक्ति जिसकी उम्र अध्यक्ष या सदस्य का पद ग्रहण करने तक 45 वर्ष न हुई हो या किसी पंचायत या निगम का सदस्य ऐसा व्यक्ति जिसे केन्द्र सरकार की नौकरी से बर्खास्त या हटाया गया हो, इसका सदस्य नहीं हो सकता।

- लोकपाल कार्यालय में नियुक्ति समाप्त होने के बाद अध्यक्ष और सदस्यों के लिए काम करने के लिए प्रतिबंध होगा। इनकी अध्यक्ष और सदस्य के रूप में पुनर्नियुक्ति नहीं हो सकती, इन्हें कोई कूटनीतिक जिम्मेदारी नहीं दी जा सकती। इसके अतिरिक्त इनको अपने हस्ताक्षर और मुहर से वारंट जारी करना पड़े।
- पद छोड़ने के पांच वर्ष बाद तक ये राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, संसद के किसी सदन, किसी राज्य विधान सभा या निगम या पंचायत के रूप में चुनाव नहीं लड़ सकते।
- लोकपाल के अध्यक्ष व सदस्यों के लिए चयन समिति में प्रधानमंत्री अध्यक्ष होंगे, जबकि लोकसभा के अध्यक्ष, लोकसभा में विपक्ष के नेता, मुख्य न्यायाधीश या उनकी अनुशंसा पर नामित सुप्रीम कोर्ट के एक न्यायाधीश तथा राष्ट्रपति द्वारा नामित कोई प्रतिष्ठित व्यक्ति सदस्य होंगे।
- इसी प्रकार राज्यों में गठित किए जाने वाले लोकायुक्त का भी एक अध्यक्ष होगा, जो राज्य के उच्च न्यायालय का सेवानिवृत्त मुख्य न्यायाधीश या फिर सेवानिवृत्त न्यायाधीश या फिर कोई महत्त्वपूर्ण व्यक्ति हो सकता है।
- लोकायुक्त में भी अधिकतम आठ सदस्य हो सकते हैं, जिनमें से आधे न्यायिक पृष्ठभूमि से होने चाहिए। इसके अलावा कम-से-कम आधे सदस्य अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति, पिछड़ी जाति, अल्पसंख्यकों और महिलाओं में से होने चाहिए।
- केन्द्रीय स्तर पर गठित लोकपाल की जाँच के दायरे में प्रधानमंत्री, मंत्री, सांसद और केन्द्र सरकार के समूह ए, बी, सी, डी के अधिकारी और कर्मचारी आएंगे, जबकि राज्यों में लोकायुक्त के दायरे में मुख्यमंत्री, राज्य के मंत्री, विधायक और राज्य सरकार के अधिकारी शामिल होंगे।
- कुछेक मामलों में लोकपाल को दीवानी अदालत के अधिकार भी प्राप्त होंगे। भ्रष्ट अधिकारी की सम्पत्ति को अस्थायी तौर पर अटैच करने का अधिकार लोकपाल के पास होगा तथा विशेष परिस्थितियों में भ्रष्ट तरीके से कमाई सम्पत्ति, आय, प्राप्तियों या फायदों को जब्त करने का अधिकार भी इसे प्राप्त होगा।

केन्द्रीय सतर्कता आयोग
(Central Vigilance Commision)

भारत में भ्रष्टाचार समस्या के विश्लेषण एवं समाधान हेतु गठित संथानम् समिति (1962-64) की अनुशंसा पर केन्द्र सरकार द्वारा दिनांग 11 फरवरी, 1964 को जारी एक प्रस्ताव के माध्यम से केन्द्रीय सतर्कता आयोग की स्थापना की गयी थी। गाँधीवादी एवं स्वतंत्रता सेनानी नित्तूर श्रीनिवास देश के प्रथम सतर्कता आयुक्त होगा, जिसकी नियुक्ति राष्ट्रपति के हस्ताक्षर एवं मुहर सहित जारी वारण्ट से की जाएगी और केन्द्रीय सतर्कता आयुक्त हो हटाए जाने की विधि वही होगी जो कि संघ लोक सेवा आयोग के किसी सदस्य को हटाने के सम्बन्ध में है। नवम्बर, 1995 में किए गए संशोधन के पश्चात् केन्द्रीय सतर्कता आयुक्त को राष्ट्रपति के हस्ताक्षर तथा मुहर से नियुक्त करने सम्बन्धी प्रावधान को हटा दिया गया।

उद्भव एवं विकास

- भारत में बढ़ती भ्रष्टाचार की समस्या तथा न्यायिक सक्रियता के दौर में भारत सरकार ने भ्रष्टाचार नियंत्रण के उपायों की अनुशंसा करने हेतु नवम्बर, 1997 में एस.वी. गिरि तथा एन.एस. वोहरा की सदस्यता में एक स्वतंत्र समीक्षा समिति (आईआरसी) का गठन किया। समिति से भ्रष्टाचार नियंत्रण सम्बन्धी संस्थागत प्रयासों के क्रम में अनुशंसा करने की अपेक्षा की गई थी।
- सर्वोच्च न्यायालय ने 18 दिसम्बर, 1997 को विनीत नारायण बनाम भारत संघ एवं अन्य (जैन हवाला के नाम से चर्चित मुकदमा) के मुकदमे के निर्णय में भारत सरकार को निर्देश प्रदान किए कि वह केन्द्रीय सतर्कता आयोग को सांविधिक स्तर प्रदान करे।
- सर्वोच्च न्यायालय का निर्णय आने के पश्चात् भारत सरकार ने 25 अगस्त, 1998 को एन. बिट्ठल ने नयी व्यवस्था के अंतर्गत प्रथम मुख्य सतर्कता आयुक्त पद की शपथ ली।
- 25 फरवरी, 1999 को संसद में प्रस्तुत होने के पश्चात् यह विधेयक 15 मार्च, 1999 को लोकसभा द्वारा (केन्द्रीय सतर्कता आयोग विधेयक, 1999 के रूप में) परित हो गया किंतु यह विधेयक राज्यसभा से पारित नहीं हुआ था क्योंकि 26 अप्रैल, 1999 को 12वीं लोकसभा भंग होने के कारण यह विधेयक निरस्त हो चुका था। राजनीतिक अस्थिरता के उस दौर में भारत सरकार ने 4 अप्रैल 1999 को राजपत्र में एक प्रस्ताव प्रकाशित कर केन्द्रीय आयोग को पुनः गैर सांविधिक स्तर प्रदान कर दिया।

चार वर्ष पश्चात् केन्द्रीय सतर्कता आयोग विधेयक पुनः संसद में प्रस्तुत किया गया तथा दोनों सदनों से पारित होने के पश्चात् 11 दिसंबर, 2003 को केन्द्रीय सतर्कता आयोग अधिनियम, 2003 (2003 का 45वाँ) को राष्ट्रपति की मंजूरी प्राप्त हुई। वर्तमान में सांविधिक संस्था के रूप में केन्द्रीय सतर्कता आयोग इसी अधिनियम के प्रावधानों से संचालित है।

उद्देश्य

यह अधिनियम मुख्यतः भ्रष्टाचार निरोधक अधिनियम, 1988 के अंतर्गत आरोपित केन्द्र सरकार, लोक निगमों, सार्वजनिक कम्पनियों तथा भारत सरकार के नियंत्रण में कार्यरत सोसाइटियों एवं स्थानीय निकायों के लोक सेवकों के विरुद्ध जाँच हेतु आवश्यक प्रावधानों एवं तत्सम्बन्धी केन्द्रीय आयोग की स्थापना हेतु लाया गया है।

केन्द्रीय सतर्कता की आयोग संरचना
(Structure of the Central Vigilance Commision)

अधिनियम की धारा-3 के अनुसार केन्द्रीय सतर्कता आयोग में एक केन्द्रीय सतर्कता आयुक्त, अध्यक्ष के रूप में तथा अधिकतम 2 सदस्य सतर्कता

आयुक्त के रूप में कार्यरत होंगे। इनका चयन अखिल भारतीय सेवाओं या संघ के अधीन किसी भी अन्य सेवा के ऐसे कार्यरत या सेवानिवृत्त व्यक्तियों में से किया जाएगा, जिन्हें सतर्कता, नीति निर्माण तथा प्रशासन सम्बन्धी ज्ञान एवं अनुभव हो।

विकल्प के रूप में केन्द्र सरकार के स्वामित्व या नियंत्रण में कार्यरत लोक निगमों या कम्पनियों में कार्यरत या सेवानिवृत्त ऐसे व्यक्ति जिन्हें वित्त, बीमा, बैंकिंग, विधि, सतर्कता तथा अन्वेषण सम्बन्धी विशेषज्ञता एवं अनुभव हो, को भी अध्यक्ष या सदस्य बनाने का प्रावधान है।

अधिनियम में प्रावधान किया गया है कि केन्द्रीय सतर्कता आयुक्त की मृत्यु, त्यागपत्र, अवकाश या अन्य कारणों से अनुपस्थिति इत्यादि परिस्थितियों में राष्ट्रपति किसी एक सतर्कता आयुक्त को केन्द्रीय सतर्कता आयुक्त का कार्यभार ग्रहण करने हेतु प्राधिकृत करेंगे।

केन्द्रीय सतर्कता आयुक्त तथा अन्य आयुक्तों की नियुक्ति

वर्तमान अधिनियम की धारा-4 में यह प्रावधान किया गया है कि केन्द्रीय सतर्कता आयुक्त तथा आयुक्तों की नियुक्ति राष्ट्रपति के हस्ताक्षर एवं मुहर से जारी वारण्ट के द्वारा की जाएगी। यह नियुक्तियाँ निम्नलिखित समिति की अनुशंसा पर चयनित व्यक्तियों की होंगी:

- प्रधानमंत्री — अध्यक्ष
- गृहमंत्री — सदस्य
- लोकसभा में विपक्ष का नेता — सदस्य

यदि लोकसभा में विपक्ष के नेता का चयन नहीं हुआ हो तो लोकसभा में विपक्ष की सबसे बड़ी राजनीतिक पार्टी के नेता को समिति में स्थान मिलेगा तथा किसी भी आयुक्त की नियुक्ति को केवल इसलिए अवैध नहीं माना जाएगा कि चयन समिति में किसी सदस्य का पद रिक्त था।

कार्य एवं शक्तियाँ

केन्द्रीय सतर्कता आयोग अधिनियम, 2003 की धारा-8 द्वारा आयोग को निम्नलिखित कार्य तथा शक्तियाँ प्रदान की गयी हैं:

- लोक सेवकों द्वारा भ्रष्टाचार के मामलों में केन्द्रीय अन्वेषण ब्यूरो दिल्ली पुलिस (विशेष स्थापना) द्वारा की जाने वाली जाँच का अधीक्षण करना;
- केन्द्रीय अन्वेषण ब्यूरो को उसके कार्यकरण तथा दायित्वों के सम्बन्ध में निर्देश देना (यहाँ यह उल्लेखनीय है कि सी.बी.आई. को उसकी अन्वेषण या किसी प्रकरण की निस्तरण प्रणाली के सम्बन्ध में अभी भी स्वायत्तता प्राप्त है);
- केन्द्र सरकार के आग्रह पर केन्द्रीय मंत्रालयों, संगठनों, लोक उपक्रमों या अन्य सम्बन्धित संस्थाओं के लोग सेवकों के विरुद्ध भ्रष्टाचार सम्बन्धी प्रकरणों की जाँच करना;
- केन्द्रीय लोक सेवकों (उपर्युक्त वर्णित) के विरुद्ध प्राप्त भ्रष्टाचार सम्बन्धी शिकायतों की जाँच करना- (इस श्रेणी में अखिल भारतीय सेवाओं के अधिकारी, केन्द्रीय सेवाओं तथा ग्रुप-'ए' के अधिकारी, सार्वजनिक उपक्रमों एवं अन्य सम्बन्धित संगठनों के समकक्ष अधिकारी सम्मिलित किए गए हैं) 18 मार्च, 2004 की अधिसूचना के पश्चात् अब सार्वजनिक बैंकों के स्केल-5 तथा उससे ऊपर के सभी अधिकारी आयोग के जाँच क्षेत्र में सम्मिलित किए गए हैं।
- केन्द्रीय अन्वेषण ब्यूरो द्वारा की जाने वाली तत्संबंधी जाँचों (अन्वेषण) की प्रगति की समीक्षा करना;
- भ्रष्टाचार निरोधक अधिनियम, 1988 के अंतर्गत आने वाले प्रकरणों के संदर्भ में प्राप्त प्रार्थना पत्रों के निस्तारण सक्षम प्राधिकारी द्वारा अभियोजन की स्वीकृति की प्रगति की समीक्षा करना;
- आयोग के कार्यक्षेत्र से संबंधित विषयों पर केन्द्र सरकार एवं इसके संगठनों इत्यादि को परामर्श देना; तथा
- केन्द्र सरकार के विभिन्न मंत्रालयों एवं संगठनों में संचालित सतर्कता प्रशासन के कार्य का अधीक्षण करना।

संहिता, 1908 की धारा-8 के अंतर्गत दीवानी न्यायालय की निम्नांकित शक्तियाँ दी गई हैं:

- भारत के किसी भी भाग से किसी व्यक्ति को बुलाने और उसकी उपस्थिति सुनश्चित करने तथा शपथ पर परीक्षण करने;
- किसी दस्तावेज की तलाश करवाने और उसे पेश करवाने;
- शपथ पत्रों पर साक्ष्य लेने;
- किसी भी अदालत या कार्यालय से कोई सार्वजनिक अभिलेख या उसकी प्रति प्राप्त करने;
- साक्षियों और प्रलेखों के परीक्षण के लिए आदेश जारी करने; तथा
- अन्य कोई मामला जो आयोग को दिया जाए, के सम्बन्ध में आवश्यक पहल करने की शक्तियाँ आयोग को प्राप्त रहेंगी।

केन्द्रीय अन्वेषण ब्यूरो (Central Intelligence Bureau)

केन्द्रीय अन्वेषण ब्यूरो अर्थात् सी.बी.आई. भारत की सर्वाधिक लोकप्रिय तथा विश्वसनीयता प्राप्त प्रशासनिक संस्था है। परिश्रम, निष्पक्षता, सच्चरित्रता के ध्येय वाक्य को लेकर कार्यरत सीबीआई एक केन्द्रीय पुलिस एजेन्सी है जिसका कार्यक्षेत्र इसकी स्थापना के पश्चात् निरंतर विस्तारित होता जा रहा है। देश की इस शीर्षस्थ जाँच एजेन्सी का मुख्य उद्देश्य सार्वजनिक जीवन में मूल्यों के संरक्षण तथा राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था को स्वस्थ बनाए रखना है। नितांत पेशेवर कार्यशैली से युक्त सी.बी.आई. ने सर्वोच्च न्यायालय, उच्च न्यायालयों, संसद तथा आमजन का विश्वास अर्जित किया हुआ है। यही कारण है कि प्रत्येक गंभीर एवं चर्चित घटना की जाँच सी.बी.आई. को सौंपने की माँग की जाती है।

उद्भव एवं विकास

सन् 1941 में भारत सरकार ने एक कार्यकारी आदेश जारी कर एक उप पुलिस महानिरीक्षक के नियंत्रण में विशेष पुलिस स्थापना (संगठन) अर्थात् Special Police Establishment का गठन किया। यह विशेष पुलिस स्थापना नामक संगठन तत्कालीन युद्ध एवं आपूर्ति विभाग में बनाया गया था। सन् 1943 में एक अध्यादेश जारी कर केन्द्र सरकार के अन्य विभागों में होने वाले भ्रष्टाचार सम्बन्धी मामले भी इस संगठन के अधीन कर दिए गए। यह अध्यादेश 30 सितम्बर, 1946 को समाप्त हो गया।

उक्त अध्यादेश के स्थान पर सन् 1946 में दिल्ली पुलिस विशेष स्थापना अध्यादेश लाया गया। इसी वर्ष इस अध्यादेश को अधिनियम का रूप दे दिया गया। सन् 1955 से 1963 तक दिल्ली पुलिस विशेष संगठन के महानिरीक्षक रहे डी.पी. कोहली ने सी.बी.आई. नामक सशक्त संगठन की कल्पना की। भारत सरकार ने गृह मंत्रालय के एक प्रस्ताव द्वारा 1 अप्रैल, 1963 को केन्द्रीय अन्वेषण ब्यूरो (सीबीआई) नामक नया संगठन स्थापित किया जिसमें दिल्ली पुलिस विशेष स्थापना एक अंग बन गया।

डी.पी. कोहली सीबीआई के प्रथम निदेशक बने तथा वे इस पर 31 मई, 1968 तक कार्यरत रहे। फरवरी, 1964 में सीबीआई में 'आर्थिक अपराध विंग' बनायी गई तथा सितम्बर, 1964 में 'खाद्य अपराध विंग' गठित की गई। सीबीआई कार्मिकों के प्रशिक्षण हेतु 10 जनवरी, 1966 को सीबीआई अकादमी, गाज़ियाबाद की स्थापना हुई। सन् 1985 में सीबीआई को गृह मंत्रालय से हटाकर नए बने 'कार्मिक, लोक शिकायत एवं पेंशन मंत्रालय' के अधीन किया गया। ऐसा इसलिए किया गया कि यह मंत्रालय प्राय: प्रधानमंत्री के प्रत्यक्ष नियंत्रण में होता है। केन्द्रीय सतर्कता आयोग अधिनियम, 2003 में यह प्रावधान किया जा चुका है कि भ्रष्टाचार निरोधक अधिनियम, 1988 के अंतर्गत दर्ज प्रकरणों के क्रम में सीबीआई का अधीक्षण केन्द्रीय सतर्कता आयोग द्वारा किया जाएगा।

संगठन की संरचना

सीबीआई का प्रमुख, निदेशक कहलाता है जो दिल्ली पुलिस (विशेष स्थापना) का महानिरीक्षक भी होता है। सीबीआई के निदेशक को सचिव स्तर प्रदान किया गया है। भारतीय पुलिस सेवा से भरे जाने वाले इस पद के चयन की प्रक्रिया तथा पदावधि केन्द्रीय सतर्कता आयोग अधिनियम, 2003 के माध्यम से होती है।

नए प्रावधान के अनुसार केन्द्रीय सतर्कता आयुक्त की अध्यक्षता, सतर्कता आयुक्तों, गृह मंत्रालय के प्रभारी सचिव तथा मंत्रिमण्डल सचिवालय के सचिव (समन्वय एवं जन परिवेदना) की सदस्यता में बनी एक समिति भारतीय पुलिस सेवा अधिकारियों में से वरिष्ठता, सच्चरित्रता तथा अन्वेषण एवं भ्रष्टाचार निरोधक मामलों में उनके अनुभव के आधार पर सम्भावित उम्मीदवारों का एक पैनल भारत सरकार को सुझाती है।

सीबीआई मुख्यालय में दो विशेष निदेशक तथा एक अतिरिक्त निदेशक कार्यरत हैं। इनके अधीन 20 संयुक्त निदेशक पदस्थापित है। प्रशासनिक स्तर पर प्रत्येक संयुक्त निदेशक किसी-न-किसी शाखा का मुख्य प्रभारी है। देशभर में सीबीआई के कार्यालय तथा शाखाएँ स्थापित हैं जिनके अधिकांश प्रभारी अधिकारी पुलिस अधीक्षक (एसपी) स्तर के हैं। सीबीआई में विधि अधिकारियों सहित अन्य तकनीकी पद भी हैं। सीबीआई का मुख्यालय कार्य संचालन की दृष्टि से निम्नांकित सात संभागों में विभक्त हैं:

1. अभियोजन निदेशालय, नई दिल्ली
2. केन्द्रीय फोरेंसिक विज्ञान प्रयोगशाला, नई दिल्ली एवं चेन्नई
3. भ्रष्टाचार निरोधी संभाग
4. आर्थिक अपराध संभाग
5. विशेष अपराध संभाग
6. प्रशासन संभाग
7. नीति एवं समन्वय संभाग

सीबीआई के कार्य

सीबीआई के कार्य समय के साथ बढ़ती इसकी उपयोगिता एवं कार्यक्षेत्र के अनुरूप विकसित एवं विस्तारित हुए हैं। सीबीआई के मुख्य कार्य इस प्रकार हैं:

- केन्द्रीय विभागों, केन्द्रीय लोक उपक्रमों तथा केन्द्रीय वित्तीय संस्थानों के कार्मिकों द्वारा किए जाने वाले भ्रष्टाचार तथा धोखेबाजी प्रकरणों की जाँच करना।
- आर्थिक अपराधों जैसे—जैसे धोखाधड़ी, आयात-निर्यात विनिमय उल्लंघन, नशीले पदार्थों तथा पुरामहत्त्व की वस्तुओं और सांस्कृतिक सम्पदा सहित प्रतिबन्धित वस्तुओं की तस्करी इत्यादि की जाँच करना।
- विशेष अपराधों, जैसे—आतंकवाद-बम विस्फोट, आत्मघाती हमले, फिरौती हेतु अपहरण तथा माफिया एवं अण्डरवर्ल्ड से जुड़े अपराधों इत्यादि की जाँच करना।
- विदेशी मुद्रा विनिमय, शासकीय गोपनीयता तथा भारत की प्रतिरक्षा से जुड़े मुद्दों तथा अपराधों की जाँच करना;
- रेलवे एवं डाक-तार से जुड़े अपराध, समुद्री तथा हवाई अपराध, पेशेवर आपराधिक घटनाएँ, संयुक्त पूँजी कंपनियों में गबन तथा अन्य गैंगवार अपराधों की जाँच करना।
- राष्ट्रीय स्तर पर अपराधों के आँकड़े एकत्र करना और अपराधों एवं अपराधियों के सम्बन्ध में सूचना प्राप्त करना एवं अन्य एजेन्सियों को सूचनाएँ प्रदान करना।
- उन अपराधों की जाँच एवं अन्वेषण करना जो राज्य सरकार द्वारा नहीं सुलझाये जा सकते हैं।
- इण्टरपोल से सम्बन्धित कार्यों में भाग लेकर राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय अपराधों से सम्बन्धित सूचनाओं का आदान-प्रदान तथा तत्सम्बन्धी जाँच भी करना।

लोकपाल को अपेक्षा से अधिक शिकायतों की जांच करनी होगी जिनमें से अधिकांश शिकायतें सबूत के अभाव में रद्द कर दी जाएंगी।

भारत में अशिक्षा का बोलबाला है जबकि लोकपाल की संस्था पूर्णरूप से लिखित प्रक्रिया पर आधारित है। सामान्यत: यह कहा जाता है कि भारत में लोकपाल नख-दंतविहीन निष्प्रभावी संस्था है। इसलिए लोकायुक्त को वेजेटेरियन टाईगर भी कहा जाता है।

तालिका 17.3: सीबीआई तथा केन्द्रीय सतर्कता आयोग में अंतर

सीबीआई	केन्द्रीय सतर्कता आयोग
1. यह एक विशेष पुलिस संगठन है।	1. यह एक परामर्शदात्री संस्था है।
2. इसकी स्थापना एक विशेष पुलिस अधिनियम के अंतर्गत हुई है।	2. पहले इसकी स्थापना कार्यपालिका के कार्यकारी आदेश से हुई थी, जो अब एक सांविधिक संस्था है।
3. यह संस्था व्यक्ति को हिरासत में लेने, माल जब्त करने तथा छापे मारने का अधिकार रखती है।	3. आयोग को ऐसा कोई अधिकार नहीं है, लेकिन सीबीआई से सहायता ले सकता है।
4. सीबीआई के कार्यक्षेत्र में सम्पूर्ण भारत तथा भ्रष्टाचार प्रकरणों सहित आर्थिक, राजनीतिक एवं विशेष अपराध भी सम्मिलित हैं।	4. केन्द्रीय सतर्कता आयोग केवल केन्द्र सरकार के कार्मिकों से सम्बन्धित भ्रष्टाचार के मामले देखता है।
5. भ्रष्टाचार प्रकरणें में यह संस्था भ्रष्टाचार निरोधक अधिनियम- 1988 के तहत आपराधिक मुकदमा चलाती है।	5. सतर्कता अधिकारियों के माध्यम से विभागीय कार्यवाही की तरह जाँच करवाता है।
6. भ्रष्टाचार निरोधक अधिनियम, 1988 के प्रकरणों में केन्द्रीय सतर्कता आयोग सीबीआई पर अधीक्षण करता है।	6. आयोग अपने कार्यकरण में स्वायत्तता प्राप्त सांविधिक निकाय है।

अध्याय सार संग्रह

- सबसे पहले वर्ष 1991 में ब्रिटेन के प्रधानमंत्री जॉन मेजर ने अपने देश की लोक सेवाओं में दक्षता लाने के लिए सिटीज़न चार्टर की शुरूआत की।
- संथानम समिति (1962-64) की अनुशंसा पर केन्द्र सरकार द्वारा 11 फरवरी, 1964 को जारी एक प्रस्ताव द्वारा केन्द्रीय सतर्कता आयोग की स्थापना की गयी।
- वर्ष 1998 में वाजपेयी सरकार द्वारा लोकपाल विधेयक लोकसभा में पेश किया गया था किन्तु लोक सभा भंग होने के कारण विधेयक को पारित नहीं किया जा सका।
- भारत सरकार के गृह मंत्रायल के एक प्रस्ताव द्वारा 1 अप्रैल, 1963 को केन्द्रीय अन्वेषण ब्यूरो (CBI) की स्थापना की गई।
- भारत में लोकपाल-लोकायुक्त संस्था नख-दन्तविहीन है। यही कारण है कि इसे वेजिटेरियन टाइगर कहा जाता है।
- वर्ष 2013 में भारतीय संसद के दोनों सदनों द्वारा पारित कर राष्ट्रपति के अनुमोदन के उपरांत 16 जनवरी 2014 से लागू कर दिया गया है।
- लोकपाल संस्था में अध्यक्ष के अतिरिक्त अधिकतम आठ सदस्य होंगे। लोकायुक्त में भी अधिकतम आठ सदस्य हो सकते हैं, जिनमें से आधे न्यायिक पृष्ठभूमि के होंगे।
- वर्ष 1985 में सीबीआई को गृह मंत्रालय से हटाकर नए बने कार्मिक, लोक शिकायत एवं पेंशन मंत्रालय के अधीन किया गया है।